

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्ट्रिक्ट/अस-पी०पी०एण्डएम०/फा:सामान्यशाखा/प्र०-13 दिनांक:- 20.5.02

विषय- सूखे कुरंग का अस्थाई विद्युत कनेक्शन विच्छेद बाधित ।

राज्य में सूखे एवं अच्छाल की स्थिति के कारण इस वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सूखे कुरंगों का अस्थाई तौर पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के प्रावधान हेतु दिनांक 30.4.02 की सामान्य सभितों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे कुरंगों को अस्थाई रूप से 6 माह तक अपना कृषि कनेक्शन विच्छेद करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये ।

निर्णयानुसार वे कुरंग जिनके कुरंग सूखे गये हैं यदि चाहें तो अस्थाई विद्युत कनेक्शन विच्छेद के लिये संबंधित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 31.5.2002 तक आवेदन कर सकते हैं । आवेदन पत्र के साथ कुरंग सूखे होने का प्रमाण पत्र जो संबंधित सहायक अभियन्ता, परतवारी एवं ग्राम सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित किया हुआ हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है । सभी इच्छुक कुरंगों को यह आवेदन 31.5.2002 तक निश्चित रूप से सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिये इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे ।

दिनांक 31.5.2002 तक प्राप्त आवेदनों पर संबंधित सहायक अभियन्ता की सिफारिश के आधार पर संबंधित अभियन्ता की स्वीकृति के पश्चात कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जावेगी । इस अवधि में कुरंगों को उपभोगकर्ता से न्यूनतम शुल्क नहीं लिया जावेगा । इस सुविधा का लाभ उन्हीं कुरंगों को देय होगा जो अपने विद्युत बिल की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करा चुके हैं ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।



उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर